



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

प्रशासन अनुभाग

104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001



संख्या: 1015 / प्रशा0-एक-1190 / 2017

दिनांक: 28-07-2017

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 शासन सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के आदेश संख्या-2-2017/26/44-1-2017-07/2017 दिनांक 15 मार्च 2017 द्वारा सार्वजनिक उपक्रम/निगमों के अवर अभियन्ताओं को रू0 400.00 प्रतिमाह विशेष भत्ता निर्धारित किया गया है।

2. परिषद के संकल्प संख्या 242/08 दिनांक 06.07.2017 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में उक्त शासनदेश संख्या 2-2017/26/44-1-2017-07/2017 दिनांक 15 मार्च 2017 (प्रति संलग्न) को अंगीकृत किया जाता है।

3. अतः नियंत्रक अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी उक्त का अनुपालन करते हुए अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त

(राजेश कुमार पाण्डेय)

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक।
2. समस्त अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक/उप आवास आयुक्त।
3. समस्त निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता/उप निदेशक।
4. समस्त वास्तुविद नियोजक/सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक।
5. वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी।
6. मुख्यालय के समस्त इंचार्ज/अधिकारीगण।
7. सम्पत्ति प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, प्रशासन अनुभाग।
8. निजी सचिव/आशुलिपिक मा0 अध्यक्ष महोदय/आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10. मैसेज बोर्ड हेतु।

(नीलम)

उप आवास आयुक्त(प्रशा0)

108

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
अपर मुख्य सचिव,
उOप्रO शासन 1

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगमों के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य
सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव 1

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2017

विषय:-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अवर अभियन्ताओं को रूपये 400/- प्रतिमाह
विशेष भत्ता दिये जाने के संबंध में 1

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक
उपक्रमों/निगमों के अवर अभियन्ताओं को रूपये 400/- प्रतिमाह विशेष भत्ता दिनांक-
26 दिसम्बर 2016 से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया
गया है कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को सम्बन्धित उपक्रम/निगम द्वारा
स्वयं वहन किया जायेगा 1

2- उक्त निर्णय को लागू करने के फलरूप यदि कोई असंगति अथवा
व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो उनका निराकरण माO मुख्य मंत्री जी के आदेश
प्राप्त कर किया जायेगा 1

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वेOआO-2-216/दस/2017,
दिनांक 01 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

हरिराज किशोर
अपर मुख्य सचिव।